**संख्या:168/2019/484/35-4-2019**

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा- विश्वनाथगंज से संबंधित कार्यो हेतु रू. 497.50 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 497.50 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तानबे लाख पचास हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

**(लाख रू. में)**

| | **वि0स0 क्षेत्र का नाम** | **कार्य का नाम** | **लम्बाई (किमी)** | **लागत** | **अवमुक्त धनराशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 सदर ग्राम राजगढ़ में राजमार्ग से गिरधारी सिंह के घर तक 150 मी0 | 0.290 | 22.970 | 22.970 |
| 2 | विश्वनाथगंज | ग्राम हरखपुर में तीरथ एकेडमी से विश्वकर्मा बस्ती तक 100 मी0 | 0.100 | 5.610 | 5.610 |
| 3 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम शेखनपुर में प्रमुख माधाता के घर तक 150 मी0 | 0.325 | 25.640 | 25.640 |
| 4 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 सदर ईशीपुर में मुन्ना सिंह के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.690 | 6.690 |
| 5 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम देवराय में पक्की सड़कसे बगिहा तक 100 मी0 | 0.100 | 5.840 | 5.840 |
| 6 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम सहिजनपुर में पक्की सड़क से राम किशोर के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.610 | 6.610 |
| 7 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता पी0के0जी0एस0 पर ठाकुरन की बाग (पचपेडिया) से कटरा गुलाब सिंह शिव मन्दिर तक 400 मी0 | 0.400 | 22.120 | 22.120 |
| 8 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम सराय देवराय में पक्की सड़क से जदवापुर संतबहादुर के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.770 | 6.770 |
| 9 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम रायपुर में चकरोड से दिनेश पटेल के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.790 | 5.790 |
| 10 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम हैसी परजी में पक्की सड़क से नन्दे पटेल के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.770 | 5.770 |
| 11 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम पहाडपुर गजेहडा में राष्ट्रीय राजमार्ग से होरी लाल कोटेदार के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.570 | 5.570 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | वि0स0 क्षेत्र का नाम | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी) | लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम सराय मुरार सिंह में प्रतापगढ़ रजवहा से सुरेशसिंह के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.790 | 5.790 |
| 13 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम पूरे बसवान में लोकापुर से राम चन्द्रपुर मार्ग पर सुरेश यादव के घर से कुशाही पुरवे तक | 0.100 | 6.780 | 6.780 |
| 14 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम सराय देवराय में हरकेश के चक से राम सनेही के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.800 | 5.800 |
| 15 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम कुल्हीपुर में दिवैनी माइनर से कीर्ता पूरवे तक 100 मी0 | 0.100 | 6.640 | 6.640 |
| 16 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम बरहुआ भोजपुर में पक्की सड़क से श्याम लाल चौहान के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.860 | 6.860 |
| 17 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम हैसी पजी में राजापुर माइनर से खण्डेश्वर मंदिर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.800 | 6.800 |
| 18 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम पर्वतपुर में पक्की सड़क से पाल बस्ती तक 100 मी0 | 0.100 | 5.830 | 5.830 |
| 19 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम बुआपुर में पक्की सड़क से पूदन पटेल के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.610 | 6.610 |
| 20 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम लाखूपुर में राजापुर माइनर से शिव दयाल के घर तक 70 मी0 | 0.070 | 4.110 | 4.110 |
| 21 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम सराय हरिनरायन में राजापुर माइनर से रामदुलार के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.800 | 5.800 |
| 22 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम पूरे वैष्णव में पी0के0जी0एस0 से पारसनाथ के घरतक 100 मी0 | 0.100 | 5.980 | 5.980 |
| 23 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम मनेहु सम्पर्क मार्ग सुखराम पटेल से हीरालाल के घर तक 100 मी0 | 0.085 | 4.970 | 4.970 |
| 24 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम अहिना में प्रतापगढ़ रजवाहा से कोमल के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.660 | 6.660 |
| 25 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम बलापुर में भडभडी सम्पर्क मार्ग पर मुस्लिम बस्ती से रामफेर फौजी के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.740 | 6.740 |
| 26 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम शोभीपुर में राम लखन गुप्ता के घर से हिरनाथ गुप्ता के घरतक100 मी0 | 0.100 | 6.010 | 6.010 |
| 27 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम गुडरू सम्पर्क मार्ग पर संतोष शर्मा के घर से बदलू गुप्ता के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.410 | 6.410 |
| 28 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम धरमपुर में सुशील कुमार सरोज के घर से राजेन्द्र सरोज के घरतक100 मी0 | 0.070 | 4.180 | 4.180 |
| 29 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम सुमेरपुर में राम सिंह के घर से बाबू लाल पासी के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.800 | 5.800 |
| 30 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम ढेमा पक्की सड़क पर नन्दलाल पटेल के घर से पीपरपुर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.830 | 5.830 |
| 31 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम भटपुरना में पक्की सड़क से राम सिंह पटेल के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.740 | 6.740 |
| 32 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 मानधाता ग्राम तरौल में मुन्ना सरोज के घर से राम लखन के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.800 | 5.800 |
| 33 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 सं चन्द्रिका ग्राम रजवाडी बाजार से वर्मा बस्ती तक 100 मी0 | 0.100 | 6.890 | 6.890 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | विo सo क्षेत्र का नाम | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी) | लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | विश्वनाथगंज | विo खo सदर ग्राम संग्रामपुर किला संपर्क मार्ग से काली माता धाम तक 100 मीo | 0.100 | 6.680 | 6.680 |
| 35 | विश्वनाथगंज | विo खo सदर ग्राम पंच सिद्ध संपर्क मार्ग से उदयराज यादव के घर तक 100 मीo | 0.100 | 6.700 | 6.700 |
| 36 | विश्वनाथगंज | विo खo सदर ग्राम प्रभैता मऊ जगमोहन सिंह के घर से दिलीप सिंह के घर तक 100 मीo | 0.100 | 6.710 | 6.710 |
| 37 | विश्वनाथगंज | विo खo लालगंज प्राoविo तारापर से राम समुझ वर्मा के घर तक 100 मीo | 0.100 | 5.900 | 5.900 |
| 38 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम गम्भीरा के छिटाहीपुरवे में 100 मीo | 0.100 | 5.900 | 5.900 |
| 39 | विश्वनाथगंज | विo खo लक्ष्मणपुर ग्रामतिना में नहर की पुलिया से बब्लू वर्मा के घर तक 100 मीo | 0.100 | 6.770 | 6.770 |
| 40 | विश्वनाथगंज | विo खo लक्ष्मणपुर ग्राम ढकवा पूरे बीरबल में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से महावीर वर्मा के घर तक 100 मीo | 0.100 | 5.870 | 5.870 |
| 41 | विश्वनाथगंज | विo खo लक्ष्मणपुर ग्राम सडवा सोमवंशियन में रामकिशोर के घर से कुवरबहादुर के घरतक 100 मीo | 0.100 | 6.880 | 6.880 |
| 42 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम अइजका सम्पर्क मार्ग से शीतला पाल के घर तक 100 मीo | 0.100 | 6.720 | 6.720 |
| 43 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम सदुल्लापुर में पक्की सड़क पर राम जतन पटेल के घर से मेवा लाल के घर तक 100 मीo | 0.100 | 6.710 | 6.710 |
| 44 | विश्वनाथगंज | विo खo लक्ष्मणपुर ग्राम अजगरा में शहीद अशोक सिंह स्मारक से हरकेश बहादुर सिंह के घर तक 100 मीo | 0.100 | 6.920 | 6.920 |
| 45 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम छतौना में रजऊ के दरवाजे से राम सुमेर के घर तक 100 मीo | 0.100 | 5.790 | 5.790 |
| 46 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम हैसी जयचन्द में रामदुलार पाल के घर से राम सजीवन पाल के घर से राम सजीवल पाल के चक तक 100 मीo | 0.100 | 6.350 | 6.350 |
| 47 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम वैशपुर हैसी मार्ग पर महुआ के बाग के सामने से पश्चिम महरानीदीन सरोज के घर तक 120 मीo | 0.120 | 8.050 | 8.050 |
| 48 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम धनीपुर में प्रतापगढ़ रजवहा से साहिद के घर तक 100 मीo | 0.100 | 5.960 | 5.960 |
| 49 | विश्वनाथगंज | विo खo लक्षमणपुर ग्राम कटैया नेवादा में बोझवा बहुचरा मार्ग से वर्मा बस्ती तक 100 मीo | 0.100 | 5.870 | 5.870 |
| 50 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाता ग्राम पूरे बसावन में पक्की सड़क से सोहन गौतम के घर तक 100 मीo | 0.100 | 5.620 | 5.620 |
| 51 | विश्वनाथगंज | विo खo मानधाताग्राम खुर्दहा संपर्क मार्ग पर तलिया तालाब से रामअभिलाष पटेल के घर तक 100 मीo | 0.100 | 5.820 | 5.820 |
| 52 | विश्वनाथगंज | विo खo सदर ग्राम विक्रमपुर में पक्की सड़क से अरविन्द पाल के तालाब तक 80 मीo | 0.080 | 5.580 | 5.580 |
| 53 | विश्वनाथगंज | विo खo सं चन्द्रिका ग्राम कोडरामादूपुर में राम बरनव के घर से रामू के घर तक 100 मीo | 0.100 | 6.930 | 6.930 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | वि0स0 क्षेत्र का नाम | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी) | लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 सं चन्द्रिका ग्राम गौहानी में लालगढ संपर्क मार्ग से मौर्या बस्ती तक 50 मी0 | 0.050 | 3.610 | 3.610 |
| 55 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम कोठा नेवढिया में लखरावं दीवानगंज सं0मा0 से वर्माबस्ती तक 100 मी0 | 0.100 | 7.130 | 7.130 |
| 56 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम नेवादा गौराडांड में इन्दू के घर से मूलचन्द्र के घर 80 मी0 | 0.080 | 4.760 | 4.760 |
| 57 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम मवैयाकला में गिरजारमन तिवारी के घर से सती देवी मंदिर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.920 | 6.920 |
| 58 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम बरेन्द्र में राजाराम के घर से सजीवन कोरी के घर 80 मी0 | 0.080 | 4.600 | 4.600 |
| 59 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम त्रिलोकपुर विसई में पक्की सड़क के आगे से संतराम के घर वर्मा बस्ती तक 100 मी0 | 0.100 | 6.910 | 6.910 |
| 60 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम गौराडांड में भटटी भोजपुर सम्पर्क मार्ग से वर्मा बस्ती तक 100 मी0 | 0.100 | 5.710 | 5.710 |
| 61 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम जगदीशपुर में पक्की सड़क से मोहन के घर से उदयराज वर्मा के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.820 | 5.820 |
| 62 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम पूरबगांव में विश्वकर्मा मंदिर से विश्वकर्मा बस्ती तक 100 मी0 | 0.100 | 5.720 | 5.720 |
| 63 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम सिंहवी में उदयराज वर्मा के घर से वंशी वर्मा के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 7.010 | 7.010 |
| 64 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम खजुरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय लढवत से वर्मा बस्ती तक100 मी0 | 0.100 | 7.030 | 7.030 |
| 65 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम पचखरा में महाकाली मंदिर से बाबू लाल वर्मा के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 7.030 | 7.030 |
| 66 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम मकईपुर में भोजपुर विक्रमपटी सम्पर्कमार्ग से वर्मा के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 5.880 | 5.880 |
| 67 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम रसूलपुर में गुलरहा पक्कीसड़क से राजाराम तिवारी के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 6.980 | 6.980 |
| 68 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम नरी खास में पिच रोड से हरकेष बी0डी0सी0 के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 7.030 | 7.030 |
| 69 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम छतरपुर में शिवाला नरी सम्पर्कमार्ग से जगन्नाथ वर्मा के घर तक 90 मी0 | 0.090 | 5.330 | 5.330 |
| 70 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम बंडारखुटार कांपा में सुनील हरिजन के घर से जगत बहादुर वर्मा के के घर तक 100 मी0 | 0.100 | 7.000 | 7.000 |
| 71 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम बोझवा लोहंगी में पिच रोड से राम निहोर के घर तक | 0.110 | 6.510 | 6.510 |
| 72 | विश्वनाथगंज | वि0ख0 संडवा चन्द्रिका ग्राम धरौली सम्पर्क मार्ग से यादव बस्ती तक 90 मी0 | 0.090 | 6.380 | 6.380 |
| | | **योग वि0स0 क्षेत्र विश्वनाथगंज** | **7.74** | **497.50** | **497.50** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार,केन्द्र रकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न(Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

संख्या:168/2019/484(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रतापगढ़।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।